न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –50 / 2023

जीसीएमएसः– 2023 / 144

उनवानः–

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

---- प्रार्थी

बनाम

मुईनुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन उर्फ लाल जाति मुसलमान निवासी इटायपाडा धौलपुर

---- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय

दिनांक – 10/2/2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 638 / 80 रकवा 0.2908 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम शेखपुर तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थी ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 638 / 80 रकवा 0.2908 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम शेखपुर पर गैर कृषि कार्य अवैध बजरी खनन स्टॉक कर दी है, जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी को बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की तामील अप्रार्थी की पत्नि अंजुम पर हुई अप्रार्थी की ओर से श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। जवाब हेतु कई अवसर दिए परन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नही किया तथा दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

पैरोकार सरकार को एकपक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–79 कें मुताबिक आराजी ख.नं. 638/80 रकवा 0.2908 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम शेखपुर मुईनुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन उर्फ लाला हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 इटायपाडा की खातेदारी में दर्ज है। तथा गिरदावरी संवत् 2078 में फसल दर्ज नही है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 638/80 रकवा 0.2908 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम शेखपुर पर अवैध बजरी भण्डारण किया जाकर गैर – कृषि कार्य किया जाना स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा तामील होने एंव न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में कोई जवाबदेही नही की गई है। इससे तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को बल मिलता है। खातेदार को राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि कार्य करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 638/80 रकवा 0.2908 है0 किस्म बारानी प्रथम बाके ग्राम शेखपुर पर खातेदार मुईनुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन उर्फ लाला हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 इटायपाडा, धौलपुर के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। निर्णय प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)